

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
JODHPUR

S.B. Criminal Revision Petition No. 84/2026

Hirendra Singh Rathore

-----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan

-----Respondent

For Petitioner(s) : Ms. Laxmi Rathore

For Respondent(s) : Mr. Surendra Bishnoi, PP

HON'BLE MR. JUSTICE FARJAND ALI

Order

21/01/2026

धारा 5, परिसीमा अधिनियम के प्रार्थना-पत्र पर सुना गया। याची के विद्वान अधिवक्ता का यह कथन है कि इस प्रकरण में पूर्व में बाद अनुसंधान पुलिस के द्वारा नकारात्मक अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था, जिस पर प्रत्यर्थी परिवादी की ओर से विरोध याचिका प्रस्तुत की गई जो काफी समय तक जांच कार्यवाही के प्रक्रम पर लंबित रही। उनका यह कहना है कि चूंकि आक्षेपित आदेश याची की अनुपस्थिति में पारित किया गया, जिसकी याची को कोई जानकारी नहीं थी व एक पक्षीय आदेश है। इसलिए ऐसे प्रकरण में परिसीमा अधिनियम के प्रावधान जानकारी की दिनांक से प्रभावी होते हैं।

याची के कथन सत्य प्रतीत होते हैं क्योंकि आक्षेपित आदेश प्रोटेस्ट पिटिशन पर जांच कार्यवाही के उपरांत एक पक्षीय तौर पर पारित किया गया है। अतः धारा 5 का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रार्थना-पत्र में हुए विलंब को क्षमा किया जाता है। निगरानी याचिका को नियत समयावधि में प्रस्तुत किया गया समझा जाता है।

निगरानी पुनरीक्षण याचिका पर सुना गया। प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुए प्रकरण में हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत होती है। अतः प्रत्यर्थीगण को चार सप्ताह में वापसी योग्य नोटिस जारी किये जावें।

तब तक, आदेश दिनांक 13.06.2024 की क्रियाविति अप्रभावी रहेगी एवं प्रकरण में कोई कार्यवाही प्रारंभ नहीं की जाएगी।

(FARJAND ALI),J